

मैनुअल-12

सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटिक राशि और
ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति:

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना (स्वजल) – परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया:-

उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का संचालन जिला क्रियान्वयन एजेंसी (जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तरांचल जल संस्थान) द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं जिन्हें “सहयोगी संस्था” कहा गया है के माध्यम से किया जा रहा है। सहयोगी संस्थाओं एवं जिला क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा ग्राम वासियों को योजना सम्बन्धी समस्त सूचना प्रदान कराई जाती है। शौचालय निर्माण उपरांत उसके प्रयोग करने की अवधि में निरीक्षण कर ग्राम पंचायत के माध्यम से सहयोगी संस्थाओं द्वारा लाभार्थियों को ग्राम की आम सामुदायिक बैठक में अनुदान/सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

अन्य मदों के लिए जिला क्रियान्वयन एजेंसी/सहयोगी संस्थाओं/ग्राम पंचायत के मध्य लिखित प्रस्ताव एवं सहमति के उपरांत अनुदान/सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आवेदन करने के लिए कहाँ/किससे सम्पर्क करें:-सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत सहयोगी संस्था, जिला क्रियान्वयन एजेंसी में से आवेदन के लिए निम्न पतों पर सम्पर्क कर सकते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	पता एवं फोन नम्बर	ई-मेल
1	अल्मोड़ा	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन, अल्मोड़ा-263601 फोन नम्बर-05962-232523, 232524	dpmu_alm@rediffmail.com
2	बागेश्वर	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, खेतवाल भवन, ब्लॉक रोड, कटायतबाड़ा, बागेश्वर-263642 फोन नम्बर-05963-220248	dpmu_bag@rediffmail.com
3	चम्पावत	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, जी.आई.सी. रोड, कनल गांव चम्पावत। फोन नम्बर-05965-211044	dpmu_cmp@rediffmail.com
4	चमोली	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, भूतल, निकट हनुमान मन्दिर, क्लैक्टेड परिसर, गोपेश्वर, चमोली-246401 फोन नम्बर-01372-322708	dpmu_chm@rediffmail.com
5	देहरादून	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, सर्वे चौक विकास भवन, देहरादून-248001	dpmu_ddn@rediffmail.com
6	हरिद्वार	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन, प्रथम तल रोशनाबाद हरिद्वार-249403 फोन नम्बर-01334-239023	dpmu_hdwr@rediffmail.com

क्रमांक	जनपद का नाम	पता एवं फोन नम्बर	ई- मेल
7	नैनीताल	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, प्रथम तल, भेषज विकास इकाई, भीमताल नैनीताल-263136 फोन नम्बर-05942-247272	dpmu_ntl@rediffmail.com
8	पौड़ी गढ़वाल	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन- पौड़ी गढ़वाल-246001 फोन नम्बर-01368-222332	dpmu_pauri@rediffmail.com
9	पिथौरागढ़	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन, टकाना रोड, पिथौरागढ़-262501 फोन नम्बर-05964-264107	dpmu_pth@rediffmail.com
10	रुद्रप्रयाग	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन- रुद्रप्रयाग-246171 फोन नम्बर-01364-233492	dpmu_rudra@rediffmail.com
11	पिथौरागढ़	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण परिसर, विकास भवन, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल। फोन नम्बर-01376-233948	dpmu_ntehri@rediffmail.com
12	उधमसिंहनगर	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन, भू-तल, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर- 263153 फोन नम्बर-05944-605031	dpmu_usnagar@rediffmail.com
13	उत्तरकाशी	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, निकट विकास भवन, लदाडी, उत्तरकाशी-249193 फोन नम्बर-01374-222468	dpmu_uki@rediffmail.com

आवेदन शुल्क:- सहयोगी संस्थाओं हेतु रू0 200 आवेदन शुल्क रखा गया है। ग्राम पंचायतों हेतु कोई आवेदन शुल्क राशि नहीं रखा गया है।

अन्य शुल्क:- कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है।

आवेदन पत्र का प्रारूप:-

सहयोगी संस्थाओं हेतु: परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा जारी आवेदन पत्र पर सहयोगी संस्थाओं द्वारा आवेदन किया जाता है। आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्नक-1 में संलग्न है।

ग्राम पंचायतों हेतु: ग्राम प्रधान द्वारा अपनी ग्राम पंचायत को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में लेने हेतु, सादे पत्र पर जिला क्रियान्वयन एजेंसी को आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

संलग्नकों की सूची:- संलग्नक-1: सहयोगी संस्थाओं हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

संलग्नकों का प्रारूप: संलग्नक-1 के अनुसार।

प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहीं सर्मक करें:- जिले के जिला क्रियान्वयन एजेंसी एवं राज्य स्तर पर परियोजना प्रबन्धन इकाई, देहरादून, मसूरी डायवर्जन रोड, मक्कावाला, देहरादून, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, 11 मोहनी रोड, देहरादून एवं मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जलभवन, बी-ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून से सर्मक किया जा सकता है।

लाभार्थियों की सूची:-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वर्ल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मकान नं०

परियोजना प्रबन्धन इकाई
स्वजल निदेशालय
उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम
(पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड)
67/4-1, प्रीतम रोड, निकट राजकीय गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय, डालनवाला, देहरादून-248001,
दूरभाष नम्बर : 0135-2653380
वेब साईट: <http://swajal.uk.gov.in> ई मेल : pmu_uttaranchal@rediffmail.com



स्वजल पंच कार्यक्रम

सहयोगी संस्थाओं हेतु सूचना विवरणी तथा आवेदन पत्र

आवेदन पत्र संख्या	
हस्ताक्षर (परियोजना प्रबन्धक, डी.पी.एम.यू.)	
मोहर (डी.पी.एम.यू.)	

महोदय,

परियोजना प्रबन्धन इकाई से सम्बन्धित यह सूचना प्रपत्र इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे आप उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण इलाकों में चलने वाले स्वजलधारा, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम एवं स्वजल पंच परियोजना सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धन इकाई के संसाधनों को अच्छी तरह समझ सकें।

1. इस सूचना प्रपत्र और आवेदन पत्र में कुल 10 पृष्ठ हैं जो इस प्रकार हैं:—
(क) परियोजना प्रबन्धन इकाई के बारे में सामान्य सूचनाएँ, योजनाओं और सहयोगी संस्थाओं के चयन से सम्बन्धित मानक/आधार (पृष्ठ 2 से 5)
(ख) आवेदन पत्र (पृष्ठ 6 से 10)
2. कृपया सामान्य सूचनाओं को ध्यान से पढ़ें। यह परियोजना संसाधनों के उचित उपयोग हेतु परियोजना प्रबन्धन इकाई से जुड़ने में आपको सहायता करेगा।
3. आवेदन पत्र को भरने से पूर्व पृष्ठ 6 पर दिये गये निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। तत्पश्चात् आवेदन पत्र (पृष्ठ 7 से 10) को भरें और पूरी तरह भरे हुए आवेदन पत्र को सम्बन्धित जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई को निम्नलिखित पते पर व्यक्तिगत रूप से या डाक से भेज दें।
4. यदि आपका आवेदन पत्र किसी भी एक मानक को पूरा नहीं करता है तो परियोजना में आपकी संस्था की सहभागिता हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
5. अधिक सूचना के लिए कृपया लिखें:—

प्रधान कार्यालय

परियोजना प्रबन्धन इकाई

स्वजल निदेशालय

उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम

(पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड)

67/4-1, प्रीतम रोड, निकट राजकीय गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय, डालनवाला, देहरादून-248001,

दूरभाष नम्बर : 0135-2653380

वैब साईट: <http://swajal.uk.gov.in> ई मेल : pmu_uttaranchal@rediffmail.com

अथवा

जनपद कार्यालय

क्रमांक	जनपद का नाम	पता एवं फोन नम्बर	ई-मेल
1	अल्मोड़ा	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन, अल्मोड़ा-263601 फोन नम्बर-05962-232523, 232524	dpmu_alm@rediffmail.com
2	बागेश्वर	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, खेतवाल भवन, ब्लॉक रोड, कटायतबाड़ा, बागेश्वर-263642 फोन नम्बर-05963-220248	dpmu_bag@rediffmail.com
3	चम्पावत	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, जी.आई.सी. रोड, कनल गांव चम्पावत। फोन नम्बर-05965-211044	dpmu_cmp@rediffmail.com
4	चमोली	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, भूतल, निकट हनुमान मन्दिर, क्लैक्वेट परिसर, गोपेश्वर, चमोली-246401 फोन नम्बर-01372-322708	dpmu_chm@rediffmail.com
5	देहरादून	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल	dpmu_ddn@rediffmail.com

क्रमांक	जनपद का नाम	पता एवं फोन नम्बर	ई-मेल
		पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, सर्वे चौक विकास भवन, देहरादून-248001	
6	हरिद्वार	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन, प्रथम तल रोशनाबाद हरिद्वार-249403 फोन नम्बर-01334-239023	dpmu_hdwr@rediffmail.com
7	नैनीताल	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, प्रथम तल, भेषज विकास इकाई, भीमताल नैनीताल-263136 फोन नम्बर-05942-247272	dpmu_ntl@rediffmail.com
8	पौड़ी गढ़वाल	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन- पौड़ी गढ़वाल-246001 फोन नम्बर-01368-222332	dpmu_pauri@rediffmail.com
9	पिथौरागढ़	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन, टकाना रोड, पिथौरागढ़-262501 फोन नम्बर-05964-264107	dpmu_pth@rediffmail.com
10	रुद्रप्रयाग	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन- रुद्रप्रयाग-246171 फोन नम्बर-01364-233492	dpmu_rudra@rediffmail.com
11	पिथौरागढ़	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण परिसर, विकास भवन, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल। फोन नम्बर-01376-233948	dpmu_ntehri@rediffmail.com
12	उधमसिंहनगर	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन, भू-तल, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर- 263153 फोन नम्बर-05944-605031	dpmu_usnagar@rediffmail.com
13	उत्तरकाशी	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, निकट विकास भवन, लडाडी, उत्तरकाशी-249193 फोन नम्बर-01374-222468	dpmu_uki@rediffmail.com

परियोजना प्रबन्धन इकाई

पी0एम0यू0 सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह निर्णय लिया गया है कि सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट (एस0आर0पी0), स्वजलधारा, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम (टी0एस0सी0) तथा स्वजल पंच परियोजना परियोजना प्रबन्धन इकाई के तत्वाधान में कार्य करेंगे। परियोजना प्रबन्धन इकाई के क्रियाकलाप निम्न है:-

- (i) स्वजलधारा परियोजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों में कार्यदायी संस्था एवं सुगमकर्ता के रूप में कार्य सम्पादित एवं जनपद, हरिद्वार के अन्तर्गत सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट के अवशेष कार्यों को पूर्ण करना।
- (ii) सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान को आवंटित जनपदों/विकासखण्डों को छोड़ते हुए अन्य समस्त जनपदों/विकासखण्डों में कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करना एवं उक्त कार्यक्रम हेतु सभी जनपदों में समन्वय की कार्यवाही करना।
- (iii) प्रस्तावित बाह्य सहायतित स्वजल परियोजना –द्वितीय चरण की परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- (iv) पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में सूचना शिक्षा तथा सम्प्रेषण (आई0ई0सी0) कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी के साथ ग्राम समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित करना एवं संचार क्षमता व विकास इकाई (Communication and Capacity Development Unit) के कार्य निष्पादित करवाना।
- (v) समस्त एकल ग्राम योजनाओं में क्षेत्र सुधार के सिद्धान्त अपनाते हुए मांग आधारित पेयजल योजनाओं का समन्वय एवं क्रियान्वयन का सुगमीकरण करना।
- (vi) बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं में संस्थागत व क्रियान्वयन व्यवस्थाओं का अध्ययन करना तथा 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप सुझाव प्रस्तुत करना।
- (vii) जल स्रोतों के जलश्राव संवर्धन हेतु विभिन्न विभागों से सामन्जस्य स्थापित कर कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करना।
- (viii) प्रदेश के जल संसाधनों के प्रदूषण की रोकथाम करने हेतु समन्वय एवं सुगमकर्ता के रूप में कार्यवाही करना।
- (ix) प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यरत स्वजल की जनपदीय परियोजना प्रबन्धन इकाईयों के अधिष्ठान तथा वित्तीय मामले पर नियन्त्रण रखना तथा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करना।
- (x) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पेयजल सेक्टर सम्बन्धी सौपे गये कार्यों का निष्पादन करना।
- (xi) परियोजना प्रबन्धन इकाई में वर्तमान में कार्यरत कार्यालय के अतिरिक्त राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन तथा एक जल संसाधन एवं प्रदूषण नियन्त्रण प्रकोष्ठ (SWSM and Water Pollution Control Cell)

की भी स्थापना की जायेगी। इस कार्य हेतु यथा आवश्यकता उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्मिकों को सेवा स्थानान्तरण पर लिये जायेंगे। यह Cell SWSM के नियन्त्रण में कार्य करेगा।

वर्तमान में परियोजना प्रबन्धन इकाई की सहायता हेतु 9 जिला परियोजना प्रबन्धन इकाईयां क्रमशः देहरादून, श्रीनगर, उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, भीमताल एवं पिथौरागढ़ में स्थापित हैं। जिला इकाईयां परियोजना गतिविधियों को जिला स्तर पर क्रियान्वयन एवं समन्वय करती हैं।

स्वजल पंच परियोजना

- राज्य सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गयी है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र हेतु परिदृश्य-2012 विकसित किया गया है जिसके अनुसार:- “ग्रामीण स्थानीय सरकार समुदाय के साथ मिलकर अपनी पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं का नियोजन, निर्माण तथा संचालन एवं रखरखाव करेंगी जिससे उनको स्वच्छ जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का स्थायी लाभ मिल सके तथा उत्तरांचल सरकार एवं उसकी सेक्टर संस्थाएँ इसमें सहयोगी, सुगमकर्ता एवम् सह वित्तीय पोषक के रूप में कार्य करेंगी और यथाआवश्यकता तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वृहद निर्माण तथा आकस्मिकता के दायित्वों का निर्वहन करेंगी।” संस्थागत, विधायी एवं वित्तीय परिवर्तन दिनांक 31 मार्च 2007 तक लाये जायेंगे एवं परिदृश्य को अन्तिम रूप में वर्ष 2012 तक अन्तिम रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- राज्य सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा राज्य में स्वजल परियोजना द्वितीय चरण पर विचार किया जा रहा है। यह परियोजना केवल परियोजना आधारित न होकर सेक्टर वाइड एप्रोच के सिद्धान्तों पर क्रियान्वित की जानी प्रस्तावित है।
- प्रस्तावित परियोजना के मुख्य विकास उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-
 - (i) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाओं की पूर्ति में सुधार लाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय समुदाय का योगदान, एवं
 - (ii) राज्य में क्षेत्र सुधार की नीतियों एवं संस्थागत व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने हेतु सहायता जिससे कि ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं के स्थायित्व में सुधार लाया जा सके।
- परियोजना के भौगोलिक क्षेत्र का उद्देश्य स्वजल सिद्धान्तों को राज्य व्यापी स्तर पर, एकल ग्रामीण पेयजल योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में तथा बहुल ग्रामीण पेयजल योजनाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की योजनाओं में प्रयोग किया जाना है। इस परियोजना के अन्तर्गत परियोजना अवधि में लगभग 500 ग्राम पंचायतों में पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे। पेयजल विभाग, राज्य सरकार इस परियोजना हेतु मुख्य अभिकरण होगा। परियोजना प्रबन्धन इकाई, परियोजना के नियोजन तथा क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, जिला स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन के प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी होगी। ग्राम

पंचायतें, उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के माध्यम से योजनाओं के नियोजन, निर्माण एवं अन्य सामुदायिक सशक्तिकरण गतिविधियों हेतु उत्तरदायी होंगी।

स्वजलधारा कार्यक्रम

➤ भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर, 2002 से स्वजलधारा कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। स्वजलधारा के कुछ मौलिक सुधार सिद्धांत हैं जिनका राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पालन किए जाने की जरूरत है। सिद्धांत इस प्रकार हैं:-

- (iii) गांव वालों की शक्ति पर आधारित समुदाय भागीदारी के साथ मांग जनित, अनुकूल नीति को अपनाना जिससे पेयजल योजना के चयन, आयोजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, वित्त पर नियंत्रण तथा प्रबन्धन में निर्णय के जरिए परियोजना में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- (iv) पंचायतों के समुचित स्तरों के साथ पेयजल परिसम्पत्तियों का पूर्ण स्वामित्व।
- (v) पंचायतों/समुदायों के पास सभी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता योजनाओं का आयोजना, कार्यान्वयन, संचालन, रखरखाव तथा प्रबन्ध की शक्तियां हों,
- (vi) प्रयोक्ताओं द्वारा आंशिक पूंजी लागत को या तो नगद या किसी अन्य रूप में, जिसमें मजदूरी भी शामिल है या दोनों वहन करना तथा संचालन एवं रखरखाव की शत प्रतिशत जिम्मेदारी लेना है,
- (vii) समेकित सेवा सुपुर्दगी तंत्र,
- (viii) स्थायी पेयजल आपूर्ति के लिए वर्षा जल के एकत्रीकरण तथा भूजल रिचार्ज प्रणाली के जरिए संरक्षण उपाय शुरू करना।
- (ix) सरकार की भूमिका को प्रत्यक्ष सेवा सुपुर्दगी से आयोजना नीति निर्धारण, निगरानी एवं मूल्यांकन तथा आंशिक वित्तीय सहायता में बदलना।

स्वजलधारा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की वैब साईट www.ddws.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान)

➤ भारत सरकार ने 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी0आर0एस0पी0) को प्रारम्भ किया था जिसे 1993 में पुनः संशोधित किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 50 प्रतिशत घरों को स्वच्छता सुविधाओं से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था।

➤ सी0आर0एस0पी0 एक मांग आधारित कार्यक्रम है और उसका लक्ष्य केवल कार्यक्रम की योजना बनाने, और क्रियान्वयन करने में ही नहीं बल्कि योजना लागत में भी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना है। संशोधित कार्यक्रम में इस बात पर बल दिया गया है कि किस तरह आई0ई0सी0 गतिविधियों के द्वारा जागरूकता बढ़ाकर, लाभार्थियों के अधिक सहभागिता को सुनिश्चित कर वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत मांग को पूरा

किया जा सके। कार्यक्रम का क्रियान्वयन समुदाय के नेतृत्व में तथा जन समुदाय पर आधारित गतिविधियों को केन्द्र में रखकर किया जायेगा। कार्यक्रम में कई घटक हैं जो निम्न हैं:-

- i. **व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण:** व्यक्तिगत घरों में मूलभूत, कम लागत वाले शौचालय बनाये जा सकते हैं जिनकी लागत रुपये 625 से 1000 प्रति शौचालय निर्धारित की गई है। इसके लिए अनुदान राशि अधिकतम रु0 500/- मात्र निर्धारित की गई है, जो केवल बी0पी0एल (गरीबी की रेखा के नीचे) परिवारों को ही देय होगी।
- ii. **विद्यालय स्वच्छता:** स्कूली बच्चे नई विचारधाराओं को प्रचलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और उनकी इस क्षमता का उपयोग सुरक्षित स्वच्छता के लाभों को अपने ही घरों में समझाने के लिए किया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये संशोधित सी0आर0एस0पी0 कार्यक्रम में विद्यालय स्वच्छता को भी सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य समस्त प्राथमिक एवम् माध्यमिक विद्यालयों में लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक मूत्रालय/शौचालय उपलब्ध कराना है। इस विद्यालय स्वच्छता काम्पलैक्स के लिए प्रति इकाई रु0 20,000.00 का बजट निर्धारित किया गया है जिसमें से अनुदान की कुल राशि रु0 18000.00 (90 प्रतिशत) तथा शिक्षक अभिभावक संघ का अंशदान रु0 2000.00 (10 प्रतिशत) है।
- iii. **महिलाओं के लिए स्वच्छता काम्पलैक्स:-** अपरिहार्य कारणोंवश कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा वहन की गई समस्याओं की वजह से सार्वजनिक शौचालय अधिक प्रभावी नहीं हो पाए हैं। अतः जहां पर व्यक्तिगत घरों में शौचालय संभव नहीं है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वच्छता काम्पलैक्स को प्रायोगिक आधार पर प्रारम्भ किया गया है।
- iv. **ग्रामीण स्वच्छता सामग्री विक्रय केन्द्र/निर्माण केन्द्र (आर0एस0एम0/पी0सी0):-** ग्रामीण स्वच्छता सामग्री को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद एवम् ब्लाक स्तर पर ग्रामीण स्वच्छता सामग्री के विक्रय/ निर्माण प्रक्रिया को स्थापित करना प्रस्तावित है। ऐसा करने से न केवल स्थानीय स्तर पर स्वच्छता निर्माण सामग्री की उपलब्धता बढ़ेगी अपितु उनकी लागत भी कम होगी।
- v. **सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण (आई0ई0सी0) की रणनीति:-** सुरक्षित स्वच्छता आदतों को अपनाने के लिए समुदाय के विचार तथा व्यवहार में परिवर्तन आवश्यक है। जब तक लोगों में स्वयं ऐसा करने की इच्छा नहीं होगी तब तक वे सुरक्षित स्वच्छता आदतों को नहीं अपनायेंगे, अतः केवल सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध करा देने से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता। समुचित जानकारी होने से समुदाय स्वच्छता सुविधाओं को बनाने तथा उपयोग करने के प्रति आकर्षित होगा। स्वजलधारा तथा सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम की सफलता प्रभावी सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण (आई0ई0सी0) की रणनीति पर निर्भर करेगी।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की वेब साइट **www.ddws.nic.in** से प्राप्त की जा सकती है।

मूल्यांकन मापदण्ड:

सहयोगी संस्थाओं की पात्रता:— परियोजना प्रबन्धन इकाई (एस0डब्लू0एस0एम0) द्वारा स्वजलधारा तथा सम्पूर्ण स्वच्छता परियोजना के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान की जायेगी। इस परियोजना में ग्रामीण लाभार्थी और उनके सहयोगी जिन्हें सहयोगी संस्था कहा जायेगा, सम्मिलित होंगे। सहयोगी संस्थाएं सहभागिता के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए सीधे समुदाय के साथ कार्य करेंगी। सहयोगी संस्थाओं द्वारा आवश्यक सामुदायिक विकास गतिविधियों का संचालन किया जायेगा जो ग्रामीण समुदाय द्वारा स्वयं की स्वजलधारा तथा सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम की योजना बनाने, क्रियान्वयन करने तथा प्रबन्धन करने में सहायक हों।

परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा पहले ऐसी संस्थाओं का चयन किया जायेगा जो निम्नलिखित पात्रता रखते हों:—

सहयोगी संस्था हेतु निश्चित पात्रता:—

- क— सहयोगी संस्था विधिसम्मत रूप से पंजीकृत हो।
- ख— उनका संविधान उन्हें समुदाय या ग्रामीण विकास गतिविधियों जैसे ग्रामीण पेयजल एवम् स्वच्छता कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अनुमति देता हो।
- ग— ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रमों तथा/अथवा सामुदायिक विकास गतिविधियों में तीन साल तक कार्य करने का अनुभव हो और उनके द्वारा कम से कम एक सहभागिता/मांग आधारित परियोजना को संतोषजनक रूप से पूरा किया गया हो
- घ— वित्तीय प्रबन्धन में सक्षम हो। चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उनके लेखों का आडिट किया गया हो और उसे सत्यापित किया गया हो। पिछले तीन वित्तीय वर्षों का आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम हो।
- ड— संस्था के पास प्रस्तावित सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध हों या संस्था उन्हें आवश्यकतानुसार नियोजित करने में सक्षम हो (इसमें सामुदायिक विकास तथा पेयजल व्यवस्थाओं, शौचालयों के डिजाइन तथा निर्माण से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी तथा पर्यवेक्षक सम्मिलित हैं)।
- च— अनुबन्ध धनराशि/भुगतान के विरुद्ध आवश्यक बैंक गारन्टी/सुरक्षा धनराशि देने के लिए सहमत हो।
- छ— संस्था की कोई राजनैतिक सम्बद्धता न हो एवं किसी राजनैतिक गतिविधियों में संवीलीन न हो।

सहयोगी संस्था के रूप में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है:—

1. स्वयं सेवी संस्थायें (राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय/जनपद स्तर) तथा स्थानीय स्वयं सेवी संस्थायें,
2. अन्य समुदाय आधारित संस्थायें: कोई भी विधि सम्मत समुदाय आधारित संस्था जैसे कोआपरेटिव।

आवेदन पत्र

परियोजना प्रबन्धन इकाई के लिए सहयोगी संस्थाओं हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

1. कृपया आवेदन पत्र (पृष्ठ 6 से 10) में अपनी संस्था से सम्बन्धित सूचनाएँ भरें जिसके आधार पर परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा संस्था का मूल्यांकन किया जा सकें। इस प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य प्रपत्र का प्रयोग न करें। अतिरिक्त सूचना देने हेतु अलग से पृष्ठों का प्रयोग किया जा सकता है।
2. इस आवेदन पत्र के साथ आवश्यक संलग्नक लगाना सुनिश्चित करें। भरे हुए आवेदन पत्र को सम्बन्धित जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई को निम्न पते पर दिनांक ----- सायं 5:00 बजे तक स्वयं जमा करें अथवा पोस्ट से भेजें। आवेदन पत्र विक्री की अंतिम तिथि ----- है।

जिला परियोजना प्रबन्धन इकाईयां

क्रमांक	जनपद का नाम	पता एवं फोन नम्बर	ई-मेल
1	अल्मोड़ा	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन, अल्मोड़ा-263601 फोन नम्बर-05962-232523, 232524	dpmu_alm@rediffmail.com
2	बागेश्वर	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, खेतवाल भवन, ब्लॉक रोड, कटायतबाड़ा, बागेश्वर-263642 फोन नम्बर-05963-220248	dpmu_bag@rediffmail.com
3	चम्पावत	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, जी.आई.सी. रोड, कनल गांव चम्पावत। फोन नम्बर-05965-211044	dpmu_cmp@rediffmail.com
4	चमोली	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, भूतल, निकट हनुमान मन्दिर, क्लैक्ट्रेट परिसर, गोपेश्वर, चमोली-246401 फोन नम्बर-01372-322708	dpmu_chm@rediffmail.com
5	देहरादून	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, सर्वे चौक विकास भवन, देहरादून-248001	dpmu_ddn@rediffmail.com
6	हरिद्वार	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन, प्रथम तल रोशनाबाद हरिद्वार-249403 फोन नम्बर-01334-239023	dpmu_hdwr@rediffmail.com
7	नैनीताल	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, प्रथम तल, भेषज विकास इकाई, भीमताल नैनीताल-263136 फोन नम्बर-05942-247272	dpmu_ntl@rediffmail.com
8	पौड़ी गढ़वाल	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन- पौड़ी गढ़वाल-246001 फोन नम्बर-01368-222332	dpmu_pauri@rediffmail.com
9	पिथौरागढ़	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन, टकाना रोड, पिथौरागढ़-262501	dpmu_pth@rediffmail.com

क्रमांक	जनपद का नाम	पता एवं फोन नम्बर	ई-मेल
		फोन नम्बर-05964-264107	
10	रुद्रप्रयाग	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन- रुद्रप्रयाग-246171 फोन नम्बर-01364-233492	dpmu_rudra@rediffmail.com
11	पिथौरागढ़	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण परिसर, विकास भवन, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल। फोन नम्बर-01376-233948	dpmu_ntehri@rediffmail.com
12	उधमसिंहनगर	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, विकास भवन, भू-तल, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर- 263153 फोन नम्बर-05944-605031	dpmu_usnagar@rediffmail.com
13	उत्तरकाशी	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड, निकट विकास भवन, लडाडी, उत्तरकाशी-249193 फोन नम्बर-01374-222468	dpmu_uki@rediffmail.com

3. परियोजना प्रबन्धन इकाई (एस0डब्लू0एस0एम0) द्वारा आपकी संस्था का मूल्यांकन किया जायेगा और स्वजलधारा तथा सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम में आपकी संस्था को सहयोगी संस्था के रूप में भागीदार बनाने पर विचार किया जायेगा। आपकी संस्था द्वारा निम्नलिखित मापदंडों को पूरा किया जाना आवश्यक है:-

क	सहयोगी संस्था विधिक रूप से पंजीकृत हो
ख	संस्था का संविधान उन्हें समुदायिक अथवा ग्रामीण विकास गतिविधियों जैसे ग्रामीण पेयजल एवम् स्वच्छता कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अनुमति देता हो
ग	ग्रामीण पेयजल एवम् स्वच्छता कार्यक्रम या सामुदायिक विकास गतिविधियों में तीन साल तक कार्य करने का अनुभव हो और उनके द्वारा सहभागिता/मांग आधारित परियोजना को संतोषजनक रूप से पूरा किया गया हो
घ	वित्तीय प्रबन्धन में सक्षम हो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उनके लेखों का आडिट किया गया हो और उसे सत्यापित किया गया हो। पिछले तीन साल का आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम हो
ड	संस्था के पास प्रस्तावित सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम आवश्यक स्टाफ उपलब्ध हों या संस्था उन्हें आवश्यकतानुसार नियोजित करने में सक्षम हो (इसमें सामुदायिक विकास तथा पेयजल एवम् स्वच्छता के घटकों के डिजाइन तथा निर्माण से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टाफ तथा पर्यवेक्षक सम्मिलित हैं)।
च	अनुबन्ध धनराशि/भुगतान के विरुद्ध आवश्यक बैंक गारन्टी/सुरक्षा धनराशि देने के लिए सहमत हो
छ	संस्था की कोई राजनैतिक सम्बद्धता न हो एवं किसी राजनैतिक गतिविधियों में संवीलीन न हो।
ज	संस्था पूर्व में किसी परियोजना में काली सूची में न डाली गई हो आदि, जो कि संभवतः इस परियोजना में कार्य करने हेतु संस्था की अनुपयुक्ता मानी जायेगी।

वह संस्थाएँ जो उपरोक्त सभी मानकों को पूरा नहीं करती उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

1. संस्था का नाम:

2. पता:

मकान संख्या:

मोहल्ला / ग्राम:

ग्राम पंचायत / नगर पालिका:

पोस्ट आफिस:

जिला:

पिन:

पत्र व्यवहार हेतु पता:

पोस्ट बाक्स नं०:

जी० पी० ओ०:

जिला:

फोन / फैक्स:

एरिया कोड:

फोन संख्या 1:

फोन संख्या 2:

फोन संख्या 3:

फैक्स नम्बर:

3. पंजीकरण की स्थिति:

(कृपया सोसायटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें, नवीनीकरण या संशोधन जो भी लागू हो को भी सम्मिलित करें)

a) स्थापना की तिथि.....

b) पंजीकरण का प्रकार.....

☐

सोसायटी

☐

कम्पनी

☐

अन्य

c) पंजीकरण समाप्ति की तिथि

4. संस्था के उद्देश्य:

(कृपया मेमोरेण्डम आफ एसोशिएसन/नियमावली की प्रति संलग्न करें जिसमें सभी बोर्ड सदस्यों के नाम दिये गये हो)

5. सदस्यों की संख्या:	कुल संख्या	महिला	पुरुष
-----------------------	---------------------	----------------	----------------

6. अध्यक्ष/संस्था के प्रमुख:

नामः

पदनामः

7. अधिशासी सदस्यों के नाम:

क्र०सं०	नाम	पदनाम
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

8. स्टाफ की स्थिति (वेतनभोगी कर्मचारी):

a) प्रोफेशनलस (कृपया सूची दें)

[illegible]

b) कुशल स्टाफ

विवरण	संख्या	विवरण	संख्या
अवर अभियन्ता		पलम्बर (फिटर)	
राजमिस्त्री		पेयजल टेकनिशियन	
स्वास्थ्य कार्यकर्ता/स्वास्थ्य शिक्षक		स्वच्छता कार्यकर्ता/टेकनिशियन	
सुगमकर्ता		दाई/नर्स	
लेखाकार		सहायक लेखाकार	

c) सहायक स्टाफ (कृपया विवरण दे):

विवरण	संख्या
प्रशासनिक/वित्त अधिकारी	
कम्प्यूटर आपरेटर	
सेक्रेटरी	

d) यदि कोई विशेष कुशलता प्राप्त व्यक्ति हो तो कृपया सूचित करें:

9. क्या आप बैंक खाता संचालित करते ☐ ☐ नहीं यदि हां, तो

बैंक का नाम

बैंक का पता

10. क्या आपकी संस्था के लेखों का आडिट हुआ है तो आडिट किये गये अवधि की सूचना दें
..... से तक

पिछले तीन वर्षों की आडिट रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें

11. संस्था द्वारा कौन से सामुदायिक विकास, पेयजल एवम् स्वच्छता क्रियाकलाप (स्वच्छता शिक्षा, सामुदायिक जागरूकता, स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण, पेयजल योजनाओं का निर्माण आदि) के कार्य किये गये हैं।

वर्ष	परियोजना का नाम	परियोजना का क्षेत्र/जिला	परियोजना की प्रस्थिति पूरा/अधूरा	वित्त पोषण एजेंसी

12. संस्था के मुख्य आर्थिक संसाधन क्या है:

a)	सदस्यता शुल्क	
b)	दान	
c)	दानकर्ताओं के साथ अनुबन्ध	
d)	ग्रान्ट	
e)	अन्य	

13. चैप्टर/जिला और/या क्षेत्रीय शाखाओं की संख्या:

चैप्टर/जिला क्षेत्रीय शाखायें

14. अन्य NGO/अन्तर्राष्ट्रीय NGO/सरकारी संगठन के साथ सम्बद्धता:

15. आपके विगत की गतिविधियों में प्रयोग की गई कोई विशेष विधि या तकनीक:

16. क्या आप दूसरी एजेंसी के साथ सम्बद्ध होने के लिए सहमत है:

17. कोई प्रकाशन:

18. क्या आपने पूर्व में पी0एम0यू0 को कोई आवेदन पत्र प्रेषित किया है:-

हां ☐ नहीं ☐

19. क्या आपकी संस्था को पूर्व में किसी परियोजना में काली सूची में रखा गया है अथवा नियमों को न मानने के सम्बन्ध में पाया गया है अथवा किसी अन्य ऐसे अभिकरण/संस्थान/विभाग आदि द्वारा जहाँ कि आपकी संस्था द्वारा कार्य किया गया हो, द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है :-

हां ☐ नहीं ☐

यदि हॉ कृपया विस्तृत विवरण दें
.....
.....

निम्नलिखित प्रमाण पत्र इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है:-

- ☐ नवीनतम विधिक पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति
- ☐ पिछले तीन आडिट रिपोर्ट की प्रति
- ☐ आर्टिकल आफ इनकार्पोरेशन, मेमोरेन्डम आफ एसोशिएशन या संविधान जिसमें बोर्ड के सदस्यों के नाम और पदनाम दिये गये हैं, की प्रति
- ☐ बैंक गारन्टी देने हेतु सहमति पत्र

- ☐ संस्था द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि संस्था द्वारा पूर्व में राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लिया गया है तथा भविष्य में भी राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने की मंशा नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त सूचनायें सही हैं।

हस्ताक्षर: _____ दिनांक: _____

प्रतिनिधि का नाम: _____

पदनाम एवम् मोहर: _____